

उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन भवन, 85 राजपुर रोड, देहरादून, दूरभाष / फैक्स : 0135-2744077

Email: ceocampa-forest-uk@nic.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांक— 233 / 3-3(5) / 2020-21

दिनांक, 03 जुलाई, 2020

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
ठिहरी डैम-द्वितीय वन प्रभाग,
उत्तरकाशी, उत्तराखण्ड।

विषय :—वार्षिक कार्ययोजना 2020-21 के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तराखण्ड कैम्पा की वर्ष 2020-21 की स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के अंतर्गत प्रथम किरत के रूप में ₹ 6.99 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है, जिनके भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों का विवरण संलग्न तालिका में दिया गया है। अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष आवंटित लक्ष्यों को तदनुसार निर्धारित मानकों के अनुसार पूर्ण करते हुए, किये गये कार्य की सम्पर्क MIS प्रविष्टि पूर्ण कराने का कष्ट करें।

अवमुक्त की गई धनराशि के व्यय के संबंध में शेष नियम एवं शर्तें निम्नानुसार लागू रहेंगी।

नियम एवं शर्तें :—

1. भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2016' के अंतर्गत निर्गत प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली - 2018' में उल्लिखित प्राविधिकारों एवं अनुमन्य गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।
2. अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मर्दों में ही किया जाय एवं उच्च स्तरों से समय-समय पर प्राप्त अन्य सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में प्रतिबंधित मर्दों/गतिविधियों में कदापि न किया जाय।
3. भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति अनिवार्य रूप से अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष ही प्राप्त की जाय। बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य न संपादित करायें जायें। धनराशि की प्रत्याशा में कराये गये कार्यों हेतु संबंधित क्रियान्वयन अभिकरण रखयं उत्तरदायी होंगे।
4. जिन कार्यों के संपादन हेतु डी०पी०आर अपेक्षित है उक्त हेतु डी०पी०आर तैयार कर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जाय। स्वीकृत डी०पी०आर की एक प्रति इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाई जाए।
5. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा अन्य वित्तीय नियमों का पालन किया जाय।
6. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 (लेखा नियम) भाग-1 एवं खण्ड-7 (वन लेखा नियम) आय-व्ययक संबंधी नियम (बजट मैनुअल) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्योरमेंट) नियमावली, 2017 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
7. उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अन्तर्गत किये जाने वाले भुगतान वर्तमान प्रचलित दिशा-निर्देशों/शासनादेशों एवं संचालन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी/सक्षम स्तर द्वारा चैक/RTGS/डिजिटल माध्यम से ही किये जायें।
8. प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने एवं निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए सामग्रियों व कार्यों की मात्रा को छोटे-छोटे टुकड़ों में न बांटा जाए।
9. उक्त कार्यों को किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित कार्य अन्य योजनाओं में प्रस्तावित अथवा कराए न गए हों।
10. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए।
11. कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में ख्यल पर इस आशय का वोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाये, जिसमें कार्य का संक्षिप्त विवरण, कार्य कराए जाने का वर्ष तथा व्यय धनराशि अंकित हो। साथ ही इसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित" भी प्रमुखता से अंकित किया जाये।
12. वृक्षारोपण एवं अन्य स्थलीय कार्यों को संपादित किये जाते समय, कार्य को जन-समारोह के रूप में मनाते हुए स्थानीय जन प्रतिनिधियों, स्थनीय जनमानस, युवाओं, छात्र-छात्राओं आदि को भी आमंत्रित किया जाये।
13. कार्य की सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय रखीकृति प्राप्त की जाए। बजट की प्रत्याशा एवं विना सक्षम स्तर की स्वीकृति के कोई कार्य सम्पन्न न कराया जाए।
14. कैम्पा योजना के अन्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले समर्त कार्यों हेतु मानक दर के अनुसार ही मजदूरी का भुगतान किया जाए।
15. सम्पादित कार्यों को अनिवार्य रूप से ई-ग्रीनवॉच पोर्टल में अपलोड कर समयवद्ध प्रविष्टि की जाये।
16. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधिकारों का अनुपालन किया जाय।
17. निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण करा लिया जाए एवं व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुरितिका के नियमों तथा अन्य रथायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, मैं पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।

18. व्यय की अधिकतम सीमा कैम्पा निधि की स्वीकृत कार्ययोजना व संवंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सुनित किया जाय।
19. आगणन में प्राविधानित डिजाइन एवं मात्राओं हेतु संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
20. उपरोक्त कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत नहीं है। यदि कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत है तो कार्य के सापेक्ष व्यय एक ही योजना के अन्तर्गत किया जाय तथा दूसरी योजना में प्रदत्त स्वीकृति को निरस्त कर यथासमय इस कार्यालय को सूचित किया जाय।
21. कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।
22. प्रभागीय तथा वृत्त स्तर पर प्रशासनिक/वित्तीय प्रबंधन के लिए समयबद्ध/प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
23. समस्त स्थल विशिष्ट कार्य की अक्षांश व देशांतर की कैम्पा एम०आई०एस० में प्रविष्टि समयबद्ध रूप से की जाय तथा सम्पादित कार्यों के यथासम्भव फोटो भी एम०आई०एस० में अपलोड किए जाएं।
24. सम्पादित कार्यों की प्रविष्टि कैम्पा एम०आई०एस० में समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए।
25. कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक व्लासीफाइड लेखा प्रत्येक अनुर्वर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।

भवदीय,

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

2/7
(डॉ समीर सिन्हा)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

उत्तराखण्ड कैम्पा

पत्रांक:— 233 / 3-3(5) / 2020-21 दिनांकित

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख वन संरक्षक (Hoff), उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, पौड़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनी की रेती को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय,

2/7
(डॉ समीर सिन्हा)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

उत्तराखण्ड कैम्पा

UTTARAKHAND CAMPA - APO 2020-21
Fund Release under Different Activities

Division: Tehri Dam-II Forest Division, Uttarkashi

Amount in Lakh ₹

S. No.	Component / Activity	Unit	Approved by Steering Committee		Released Amount (Lakh Rs.)
			Physical	Financial Target	
1	2	3	4	5	
14	Strengthening of Van Panchayats				
i	Soil & Water Conservation Works in VP	No.	2	0.50	0.25
ii	Workshops and Training in VP's	No.	2	0.40	0.20
iii	Pasture Development Maintenance in VP's	ha	10	1.08	0.54
2	Construction of Forest Guard Chowki	No.	1	10.00	5.00
3	Maintenance of Existing Building constructed under CAMPA	No.	4	2.00	1.00
	Total			13.98	6.99

Dated: 02 July, 2020

